

धारा-53. प्रमुख राज्य भागिता-निधि परिसम्पत्तियों तथा सहायक राज्य भागिता-निधि के भाग न होंगे.- प्रमुख राज्य भागिता-निधि या सहायक राज्य भागिता-निधि के नाम मे जमा कोई धनराशि, यथास्थिति, शीर्ष समिति की परिसम्पत्तियों की भागी न होगी।